BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 211 OF 2024

IN THE MATTER OF-

SANJAY AGARWAL ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS. ... RESPONDENTS

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PG NO.
1.	Additional Response on behalf of the District Magistrate, Tehri Garhwal, in compliance of the order dated 20.03.2026 of this Hon'ble Tribunal	1-7
2.	**ANNEXURE-1** The Letter bearing No.-202/District Ganga Committee (2025-26) dated 17.04.2026	8
3.	**ANNEXURE-2** The Letter bearing No.-1143/SPA/SDM/ Narendra Nagar dated-22.04.2026	9
4.	**ANNEXURE-3** The Letter No. 1167/SPA/SDM/2026 dated 18.05.2026	10-12
5.	**ANNEXURE-4** The Letter No.-870/CKN/Application No.-211/2024 dated-16.05.2026/Letter No.-1 & V F.P.Z/NGT-211/2024 dated-16.05.2026	13-16
6.	**ANNEXURE-5** The Letter No.-UKPCB/ROD/NGT-107/2026-	17-20

	27/592-320 dated-08.05.2026 and Letter No.-216/NGT/2026-27 dated-14.05.2026	

FILED BY-

K. P. Gautam
Advocate
Supreme Court of India
Reg. No. D/119/98

KAUSHAL GAUTAM
ADDITIONAL ADVOCATE GENERAL FOR THE STATE OF UTTARAKHAND/ RESPONDENT NO. 6
OFFICE AT: A-25, SECOND FLOOR
DEFENCE COLONY, NEW DELHI-110024
MOB NO.: 9811101934
EMAIL: officeofkaushalgautam@gmail.com

Place New Delhi

Dated: 25.05.2026

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 211 OF 2024

IN THE MATTER OF-

SANJAY AGARWAL ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS. ... RESPONDENTS

ADDITIONAL RESPONSE ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE, TEHRI GARHWAL, IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 20.03.2026 OF THIS HON'BLE TRIBUNAL

1. In compliance with the order dated 20.03.2026 passed in the original application number 211/2024 filed in Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, a letter was sent on 17.04.2025 to the Sub-District Magistrate, Narendra Nagar, Superintending Engineer, Irrigation Division II, Narendra Nagar, Executive Engineer, Jal Sansthan, Ganga Unit, Rishikesh and Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for taking necessary action. The Letter No.-202/District Ganga Committee (2025-26) dated 17.04.2026 is annexed herewith as **ANNEXURE-1**.

2. Further for a joint on-site investigation in the matter in question, a letter was sent by the Sub-District Magistrate, Narendra Nagar on 22.04.2026 to the Superintending Engineer, Irrigation Division II, Narendra Nagar, Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun,

Executive Engineer, Jal Sansthan, Ganga Unit, Rishikesh, Tehsildar, Narendra Nagar, Survey Naib Tehsildar, Narendra Nagar and Executive Officer, Nagar Panchayat Tapovan. In the said matter, on-site inspection of the concerned place was done by the said officer and nominated representatives on 02.05.2026. The Letter bearing No.-1143/SPA/SDM/Narendra Nagar dated-22.04.2026 and are annexed herewith as **ANNEXURE-2**.

3. That as per the para 10 of the order dated 20.03.2026 the Hon'ble Tribunal passed the directions for requisite details regarding following aspects –

(a)origin of the drain, its confluence and also its length and width

In compliance it is submitted that the origin, confluence, and length and width of the drain, it is to be noted that the origin of the drain in question is within the reserved forest area at the intersection of the boundary of Mauja Barkot. The confluence of the drain is the Ganga River. The drain is approximately 4 km long and its width varies from place to place. The average width of the drain is approximately 7 to 8 meters.The letter bearing No.- 1167/SPA/SDM/2026 dated 18.05.2026 is annexed herewith as **ANNEXURE-3.**

(b) demarcation of flood plain zone as per River Ganga (rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 with 100 years flood interval and 1 mtr contour with the flood plain zone super imposed on the Revenue Map

It is submitted that the demarcation of flood zone with 100 year flood interval and 1 meter contour as per River Ganga (Rejuvenation, Rejuvenation, Conservation and Management) Authority Order, 2016, and marking it on the revenue map, it is to inform that, after on-site inspection of the said drain on 02.05.2026 by the officials of Irrigation Division II Narendra Nagar and Hydraulics Research Station Bahadrabad, Haridwar, for the work related to Flood Plain Zoning, the possible Starting Point Coordinate-30°9′23.91″N 78°19′1.44″E and End Point coordinate-30°7′48.36″N 78°19′46.09″E have been made available on 15.05.2026 as per the revenue map and Google Earth. A tender has been invited by Hydraulics Research Station, Bahadrabad Haridwar in anticipation of allocation of funds for the work of Consultancy work for Flood Plain Zoning of natural drain/stream in Tapovan Decan Valley, Rishikesh (Tehri Garhwal), the date of opening of which has been fixed as 04.06.2026. Information/report regarding the part of the construction work of the above buildings being within the flood zone can be informed after the completion of the work related to the Flood Plain Zone of the natural drain.

(c) whether any part of the constructions falls within floodplain zone

In respect to the above aspect it is submitted that the Tender has been invited by by Hydraulics Research Station, Bahadrabad Haridwar in anticipation of

allocation of funds for the work of Consultancy work for Flood Plain Zoning of natural drain/stream in Tapovan Decan Valley, Rishikesh (TehriGarhwal), the date of opening of which has been fixed as 04.06.2026. Information/report regarding the part of the construction work of the above buildings being within the flood zone can be informed after the completion of the work related to the Flood Plain Zone of the natural drain. The Letter No.-870/CKN/Application No.-211/2024 dated-16.05.2026/Letter No.-177& V F.P.Z/NGT-211/2024 dated-16.05.2026 are annexed here with as **ANNEXURE-4**.

(d) encroachments if any and measures taken for removal of the same

Regarding the status of encroachment and the action taken to remove the encroachment, it is informed that at the place in question, encroachment has been carried out by constructing multi-storeyed buildings on the left side of the said drain by a total of 04 persons, against whom challan report has been sent to the court of prescribed authority Narendranagar under section 4 of the U.B.G.V. Act 1972. Presently, eviction suit against the said persons is pending in the court.

(e) prevention of discharge of untreated sewage/industrial effluents in the drain

Regarding the action taken to prevent the discharge of untreated sewage/industrial waste into the drain in question, it is to be informed that no industrial unit is

established/operated in the catchment area of the drain in question. Since a sewer line has already been established in the said area, there is no need to construct a separate STP for the establishments established at the said place. The owners of the multi-storey buildings established at the said place have got themselves connected to the sewer line. The said sewer line is connected to the 3.5 MLD STP Tapovan, and no sewer has been found flowing into any drain/stream flowing in the said area. The Letter No.- UKPCB/ROD/NGT-107/2026-27/592-320 dated-08.05.2026 and Letter No.- 216/NGT/2026-27 dated-14.05.2026 are annexed herewith as **ANNEXURE-5.**

In light of the findings and observations from the inspection, this report is submitted to comply with the directions of this Hon'ble Tribunal. Necessary actions will be taken as per legal provisions.

District Magistrate
Tehri Garhwal

FILED BY-

K. P. Gautam
Advocate
Supreme Court of India
Reg. No. D/119/98

KAUSHAL GAUTAM
ADDITIONAL ADVOCATE GENERAL FOR THE STATE OF UTTARAKHAND/ RESPONDENT NO. 6
OFFICE AT: A-25, SECOND FLOOR
DEFENCE COLONY, NEW DELHI-110024
MOB NO.: 9811101934
EMAIL: officeofkaushalgautam@gmail.com

एन.जी.टी. ओ0ए0 न0 211/2024
संजय अग्रवाल
बनाम
उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य

तथ्यात्मक आख्या।

1. मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 211/2024 में दिनांक 20.03.2026 को पारित आदेश के अनुपालन के कम दिनांक– 17.04.2025 को उप जिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, नरेन्द्र नगर, अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, गंगा इकाई,ऋषिकेश एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था।
(पत्र संख्या–202/जिला गंगा समिति(2025–26) दिनांक– 17.04.2026)

2. प्रश्नगत प्रकरण में संयुक्त स्थलीय जांच हेतु उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर के द्वारा दिनांक– 22.04.2026 को अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, नरेन्द्रनगर, क्षत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, गंगा ईकाई, ऋषिकेश, तहसीलदार, नरेन्द्रनगर, सर्वे नायब तहसीलदार, नरेन्द्रनगर एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत तपोवन को पत्र प्रेषित किया गया। उक्त प्रकरण में दिनांक 02.05.2026 को उक्त अधिकारी तथा नामित प्रतिनिधियों के द्वारा संबन्धित स्थान का स्थलीय निरीक्षण किया गया।
(पत्र संख्या–1143/एस.पी.ए./एस.डी.एम/नरेन्द्रनगर दिनांक–22.04.2026 एवं पत्र संख्या– 1167/एस.पी.ए./एस.डी.एम./2026 दिनांक 18.05.2026)

3. नाले का उद्गम, उसका संगम तथा उसकी लम्बाई और चौड़ाई के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत नाले का उद्गम स्थान मौजा बड़कोट की सीमा के मिलान पर आरक्षित वन क्षेत्रान्तर्गत है। उक्त नाले का संगम गंगा नदी है। उक्त नाले की लम्बाई लगभग 04 किमी0 है, तथा चौडाई अलग–अलग स्थानों पर भिन्न–भिन्न है। उक्त नाले की औसतन चौड़ाई लगभग 07 से 08 मीटर है।
(पत्र संख्या– 1167/एस.पी.ए./एस.डी.एम./2026 दिनांक 18.05.2026)

4. गंगा नदी(पुनर्जीवन, पुनर्जीवन, संरक्षण एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के अनुसार 100 वर्ष के बाढ़ अंतराल एवं 1 मीटर कंटूर के साथ बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन, तथा इसे राजस्व मानचित्र पर अंकित किये जाने सम्बन्ध में अवगत कराना है कि, सिंचाई खण्ड द्वितीय नरेन्द्रनगर एवं जल विज्ञान खण्ड बहादराबाद, हरिद्वार के अधिकारियों द्वारा दिनांक– 02.05.2026 को उक्त नाले के स्थलीय निरक्षण उपरान्त Flood Plain Zoning सम्बधी कार्य हेतु राजस्व मानचित्र एवं गूगल अर्थ के अनुसार नाले के सम्भावित Starting Point के Coordinate- $30^0$9'23.91''N $78^0$19'1.44''E एवं End Point coordinate- $30^0$7'48.36''N $78^0$19'46.09''E उपलब्ध कराये गये हैं। जल विज्ञान खण्ड, हरिद्वार द्वारा दिनांक – 15.05.2026 को Consultancy work for Flood Plain Zoning of natural drain/stream in Tapovan Decan Vally, Rishikesh (Tehri Garhwal) के कार्य को कराये जाने हेतु धनावंटन की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रित की गई है, जिसके खुलने की तिथि–04.06.2026 निर्धारित की गई है। उक्त भवनों के निर्माण कार्य का भाग बाढ क्षेत्र के भीतर है के सम्बन्ध में सूचना/आख्या प्राकृतिक नाले के Flood Plain Zone से सम्बन्धित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अवगत कराया जा सकता है।
(पत्र संख्या– 1167/एस.पी.ए./एस.डी.एम./2026 दिनांक 18.05.2026, पत्र सं0– 870/सि.ख.न.न./आवेदन सं0–211/2024 दिनांक–16.05.2026 एवं पत्र सं0– 177/ज.वि.ख. /एफ.पी.जेड/एन.जी.टी.–211/2024 दिनांक–16.05.2026)

5. अतिक्रमण की स्थिति एवं अतिक्रमण को हटाये जाने के लिये की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थान पर उक्त नाले के बाई ओर कुल 04 व्यक्तियों द्वारा बहुमंजिला भवन निमार्ण कर अतिक्रमण किया गया है, जिनके विरुद्ध सा0भू0ग्रा0वि0 धिनियम 1972 की धारा– 04 के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट विहित प्राधिकारी नरेन्द्रनगर के न्यायालय में प्रेषित की गयी है। वर्तमान में उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली वाद न्यायालय में गतिमान है।
(पत्र संख्या– 1167/एस.पी.ए./एस.डी.एम./2026 दिनांक 18.05.2026)

6. प्रश्नगत नाले पर बिना उपचारित सीवेज/औद्योगिक अपशिष्ट के निर्वहन की रोकथाम के लिये की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि संदर्भित नाले के कैचमेंट में कोई औद्योगिक इकाई स्थापित/संचालित नही है, उक्त क्षेत्र में सीवर लाईन स्थापित होने के कारण उक्त स्थान पर स्थापित स्थापनाओं को पृथक से एस.टी.पी. निर्माण की आवश्यकता नहीं है। उक्त स्थान पर स्थापित बहुमंजिला इमारतों के स्वामियों द्वारा सीवर लाईन से संयोजन करा लिया गया है। उक्त सीवर लाईन 3.5 एम.एल.डी. एस0टी0पी0 तपोवन से जुडी हुयी है, तथा उक्त क्षेत्र में प्रवाहित कोई नाला/धारा में सीवर प्रवाहित होता हुआ नहीं पाया गया है।
(पत्र संख्या– 1167/एस.पी.ए./एस.डी.एम./2026 दिनांक 18.05.2026, पत्र संख्या– यूकेपीसीबी/आरओडी/एन.जी.टी.–107/2026–27/592–320 दिनांक–08.05.2026 एवं पत्र संख्या– 216/एन.जी.टी./2026–27 दिनांक–14.05.2026)

(नितिका खण्डेलवाल)
जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल।

ANNEXURE-1

शीर्ष प्राथमिकता
मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण।

कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।

संख्या–202 / जिला गंगा समिति (2025–26) नई टिहरी, दिनांक– 17, अप्रैल, 2026

1. उपजिलाधिकारी,
   नरेन्द्र नगर।
2. अधीक्षण अभियन्ता,
   सिंचाई खण्ड द्वितीय,
   नरेन्द्र नगर।
3. अधीशासी अभियन्ता,
   जल संस्थान, गंगा इकाई,
   ऋषिकेश।
4. क्षेत्रीय अधिकारी,
   उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
   देहरादून।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या– 211/2024 संजय अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में दिनांक 20.03.2026 को पारित ओदश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या – 211/2024 संजय अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में दिनांक 20.03.2026 को पारित ओदश के द्वारा जनपद टिहरी गढवाल के स्थान ऋषिकेश, तपोवन, डैक्कन वैली में बहुमंजिला अपार्टमेंट के अवैध निमार्ण तथा प्राकृतिक नाले/धारा पर अतिक्रमण एवं उससे उत्पन्न अवरोध के संबंध में दर्ज शिकायत के कम में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक विवरण सहित प्रतिउत्तर दायर करने हेतु आदेशित किया है–

1. नाले का उद्गम, उसका संगम तथा उसकी लंबाई और चौडाई।
2. गंगा नदी(पुनर्जीवन, संरक्षण एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के अनुसार 100 वर्ष के बाढ अंतराल एवं 1 मीटर कंटूर के साथ बाढ क्षेत्र का सीमांकन, तथा इसे राजस्व मानचित्र पर अंकित करना।
3. क्या किसी निर्माण का कोई भाग बाढ़ क्षेत्र के भीतर आता है।
4. यदि कोई अतिक्रमण है तो उसे हटाने के लिए की गयी कार्यवाही।
5. नाले में बिना उपचारित सीवेज/ औद्योगिक अपशिष्ट के निर्वहन की रोकथाम के लिए की गयी कार्यवाही।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के उक्त आदेश की प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है, कि मा0 एन.जी.टी. के आदेशों के अनुपालन में उपरोक्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कर, कृत कार्यवाही की रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

o/c

(नितिका खण्डेलवाल)
जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

ANNEXURE-2

कार्यालय उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर, टिहरी–गढ़वाल।

Office Email- sdmnnagar@gmail.com

संख्या/ 1143 /एस0पी0ए0–एस0डी0एम0/नरेन्द्रनगर दिनांक 22, अप्रैल, 2026

01–अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल।

02–क्षेत्रीय अधिकारी,उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

03–अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, गंगा ईकाई, ऋषिकेश।

04–तहसीलदार, नरेन्द्रनगर।

05–सर्वे नायब तहसीलदार, नरेन्द्रनगर

06–अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत तपोवन।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–211/2024 संजय अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 के अनुपालन के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयक कृपया जिला पत्र संख्या–202/गंगा समिति (2025–26) टिहरी गढ़वाल दिनांक 17 अप्रैल, 2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें उल्लेख किया है कि **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–211/2024 संजय अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 20.03.2026** में माननीय राष्ट्रीय हरित प्रारिण नई दिल्ली द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान, ऋषिकेश तपोवन, डैक्कन वैली में बहुमंजिला अपार्टमेंट के अवैध निर्माण तथा प्राकृतिक नाले/धारा पर अतिकमण एवं उससे उत्पन्न अवरोध के संबंध में दर्ज शिकायत में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक विवरण सहित प्रति उत्तर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है।:–

01– नाले का उद्‌गम, उसका संगम तथा उसकी लम्बाई और चौड़ाई।

02– गंगा नदी (पुनर्जीवन, संरक्षण एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के अनुसार 100 वर्ष के बाढ़ अंतराल एवं एक मीटर कंटूर के साथ बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन, तथा उसे राजस्व मानचित्र पर अंकित करना ।

03– क्या किसी निर्माण का कोई भाग बाढ़ क्षेत्र के भीतर आता है।

04– यदि कोई अतिकमण है, तो उसे हटाने के लिये की गयी कार्यवाही।

05– नाले पर बिना उपचारित सीवेज/औद्योगिक अपशिष्ट के निर्वहन की रोकथाम के लिये की गयी कार्यवाही।

अतः प्रश्नगत प्रकरण की संयुक्त जांच हेतु **दिनांक 02.05.2026 (शनिवार) को समय प्रातः 10.00 बजे** की तिथि नियत की जाती है, तथा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप नियत तिथि एवं समय को संयुक्त निरीक्षण हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित स्थान पर उपस्थित रहने का कष्ट करे, तथा संयुक्त जांच रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये।

संलग्न–यथोपरि।

22/4/26

(आशीष चन्द्र घिल्डियाल)
उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

ANNEXURE-3

942

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

संख्या/1167/एस0पी0ए0/एस0डी0एम0/2026 दिनांक 18 मई, 2026

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–211/2024 संजय अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 के अनुपालन के संबंध में।**

महोदया,

उपर्युक्त विषयक कृपया जिला कार्यालय के पत्र संख्या–202/गंगा समिति (2025–26) टिहरी गढ़वाल दिनांक 17 अप्रैल, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–211/2024 संजय अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 20.03.2026** में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान, ऋषिकेश तपोवन, डैक्कन वैली में बहुमंजिला अपार्टमेंट के अवैध निर्माण तथा प्राकृतिक नाले/धारा पर अतिक्रमण एवं उससे उत्पन्न अवरोध के संबंध में गठित समिति द्वारा दिनांक दर्ज शिकायत में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक विवरण सहित प्रति उत्तर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है :–

प्रश्नगत प्रकरण की संयुक्त जांच इस कार्यालय के पत्र संख्या–1143/एस0पी0ए0–एस0डी0एम0/नरेन्द्रनगर दिनांक 22 अप्रैल, 2026 के द्वारा 01–अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय,नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल, 02–क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, 03–अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, गंगा ईकाई, ऋषिकेश, 04–तहसीलदार, नरेन्द्रनगर, 05–सर्वे नायब तहसीलदार, नरेन्द्रनगर 06–अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत तपोवन को पत्र प्रेषित किया गया एवं संयुक्त निरीक्षण हेतु **दिनांक 02.05.2026 (शनिवार) को समय प्रातः 10.00 बजे** की तिथि नियत की गई।

नियत तिथि पर प्रश्नगत प्रकरण की संयुक्त निरीक्षण हेतु संबंधित अधिकारी तथा नामित प्रतिनिधि उपस्थित हुये। समिति से प्राप्त संयुक्त निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न कर महोदया की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदया की सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
18/05/26
(आशीष चन्द्र घिल्डियाल)
उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

Scanned with OKEN Scanner

:: संयुक्त निरीक्षण आख्या ::

जिलाधिकारी महोदया, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या–202/गंगा समिति (2025–26) टिहरी गढ़वाल दिनांक 17 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–211/2024 संजय अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 20.03.2026** में माननीय राष्ट्रीय हरित प्रारिण नई दिल्ली द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान, ऋषिकेश तपोवन, डैक्कन वैली में बहुमंजिला अपार्टमेंट के अवैध निर्माण तथा प्राकृतिक नाले/धारा पर अतिकमण एवं उससे उत्पन्न अवरोध के संबंध में गठित समिति द्वारा दिनांक दर्ज शिकायत में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक विवरण सहित प्रति उत्तर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है :–

01– नाले का उद्गम, उसका संगम तथा उसकी लम्बाई और चौड़ाई।

02– गंगा नदी (पुनर्जीवन, संरक्षण एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के अनुसार 100 वर्ष के बाढ़ अंतराल एवं एक मीटर कंटूर के साथ बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन, तथा उसे राजस्व मानचित्र पर अंकित करना ।

03– क्या किसी निर्माण का कोई भाग बाढ़ क्षेत्र के भीतर आता है।

04– यदि कोई अतिकमण है, तो उसे हटाने के लिये की गयी कार्यवाही।

05– नाले पर बिना उपचारित सीवेज/औद्योगिक अपशिष्ट के निर्वहन की रोकथाम के लिये की गयी कार्यवाही।

प्रश्नगत प्रकरण की संयुक्त जांच इस कार्यालय के पत्र संख्या–1143/एस0पी0ए0–एस0डी0एम0/नरेन्द्रनगर दिनांक 22 अप्रैल, 2026 के द्वारा 01–अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय,नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल, 02–क्षेत्रीय अधिकारी,उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, 03–अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, गंगा ईकाई, ऋषिकेश, 04–तहसीलदार, नरेन्द्रनगर, 05–सर्वे नायब तहसीलदार, नरेन्द्रनगर 06–अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत तपोवन को पत्र प्रेषित किया गया एवं संयुक्त निरीक्षण हेतु **दिनांक 02.05.2026 (शनिवार) को समय प्रातः 10.00 बजे** की तिथि नियत की गई।

नियत तिथि पर प्रश्नगत संयुक्त निरीक्षण हेतु संबंधित अधिकारी तथा नामित प्रतिनिधि उपस्थित हुये। प्रश्नगत संयुक्त निरीक्षण आख्या बिन्दुवार निम्नवत् हैः–

बिन्दु संख्या–01 के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत नाले का उद्गम स्थान मौजा बड़कोट की सीमा के मिलान पर आरक्षित वन क्षेत्रान्तर्गत है। उक्त नाले का संगम गंगा नदी है। उक्त नाले की लम्बाई लगभग 04 किमी0 है, तथा चौड़ाई अलग–अलग स्थानों पर भिन्न–भिन्न है। उक्त नाले की औसतन चौड़ाई लगभग 07 से 08 मीटर के करीब है।

बिन्दु संख्या–02 एवं 03 के कम में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर द्वारा अपने पत्रांक संख्या–870/सि0ख0न0न0/ आवेदन संख्या–211/2024 दिनांक 16.05.2026 में उल्लेख किया गया है कि उक्त प्राकृतिक नाले के राजस्व मानचित्र को संलग्न कर जल विज्ञान खण्ड बहादराबाद को प्रेषित किये गये है, जिसके उपरान्त संबंधित विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–177/ज0वि0ख0/एफ0पी0जेड0/एन0जी0टी0–211/2024 दिनांक 16.05.2026 (संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य को कराये जाने हेतु धनावंटन की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रित की गई है, जिसके खुलने की तिथि 04.06.2026 निर्धारित की गयी है।

निर्माण का भाग बाढ़ क्षेत्र के भीतर है, उक्त के संबंध में सूचना/आख्या प्राकृतिक नाले के Flood Plain Zone से सबंधित कार्य होने के उपरान्त ही अवगत कराया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या–04 के कम में उल्लेख करना है कि प्रश्नगत स्थान पर उक्त नाले के बाईं ओर कुल 04 व्यक्तियों द्वारा बहुमंजिला भवन निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है, जिनके विरूद्ध सा0भू0ग्रा0वि0 अधिनियम 1972 की धारा–04 के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट विहित प्राधिकारी नरेन्द्रनगर के न्यायालय में प्रेषित की गयी है। वर्तमान में उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध बेदखली वाद न्यायालय में गतिमान है।

बिन्दु संख्या–05 के कम **में** क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–यूकेपीसीबी/आरओडी/एन0जी0टी0–107/2026–27/592–320 दिनांक 08.05.2026 के माध्यम से अवगत कराय गया कि संदर्भित नाले के कैचमेंट में कोई औद्योगिक इकाई स्थापित/संचालित नहीं है, उक्त क्षेत्र में सीवर लाईन स्थापित होने के कारण उक्त स्थान पर स्थापित स्थापनाओं को पृथक से एस0टी0पी0 निर्माण की आवश्यकता नहीं है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान जल संस्थान के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थान पर स्थापित बहुमंजिला इमारतों के स्वामियों द्वारा सीवर लाईन से संयोजन करा लिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा (गंगा) उत्तराखण्ड जल संस्थान, जगजीतपुर, हरिद्वार द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक संख्या–216/एन0जी0टी0/2026–27 दिनांक 14.05.2026 में उल्लेख किया गया है कि शाखा में कार्यरत श्री अशोक सिंह, अपर सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश द्वारा संयुक्त निरीक्षण में प्रतिभाग किया गया। शाखा से संबंधित बिन्दु संख्या–05 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि डैक्कन वैली परिसर एवं निकटवर्ती क्षेत्रान्तर्गत सीवर लाईन बिछी हुई है, जो कि 3.50 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 से जुड़ी हुई है, तथा उक्त क्षेत्र में प्रवाहित कोई नाला/धारा में सीवर प्रवाहित होता हुआ नहीं पाया गया है।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदया की सेवा में सादर प्रेषित।

सर्वे लेखपाल,
तपोवन।

राजस्व निरीक्षक,
नरेन्द्रनगर।

सर्वे कानूनगो,
नरेन्द्रनगर

तहसीलदार,
नरेन्द्रनगर।

सहायक अभियन्ता,
सिंचाई, खण्ड नरेन्द्रनगर

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
(गंगा)ईकाई, ऋषिकेश।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर।

प्रेषित,

उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक 870 /सि0ख0न0न0/ आवेदन सं0–211/2024 /दिनांक 16/05/2026

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ,नई दिल्ली के समक्ष मूल आवेदन सं0–211/2024 Sanjay Agarwal versus State of Uttarkhand & Ors. में पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– *आपका पत्रांक–1161/एस0पी0ए0–एस0डी0एम0/नरेन्द्रनगर दिनांक–15.05.2026।*

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का सादर अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ,नई दिल्ली के समक्ष मूल आवेदन सं0–211/2024 Sanjay Agarwal versus State of Uttarkhand & Ors. जनपद टिहरी गढवाल के तपोवन डेकन वैली में बहुमंजिला अपारमेन्ट के अवैध निर्माण तथा प्राकृतिक नाले/धारा पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 में सिंचाई विभाग से सम्बन्धित बिन्दु–10 पर आख्या निम्नवत् बिन्दुवार सूचनार्थ एंव अग्रिम–आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र0स0	सम्बन्धित बिन्दु	आख्या
1.	गंगा नदी (पुर्नजीविकरण संरक्षण एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश 2016 के अनुसार 100 वर्ष के बाढ अन्तराल एवं 01 मीटर कन्टूर के साथ बाढ क्षेत्र का सीमांकन कर इसे राजस्व मानचित्र पर अंकित किया जाना है	उक्त के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं0–2805/प्र0अ0/सि0वि0/नि0अनु0/एन0जी0टी0/211/2024/दिनांक27.04.2026 के माध्यम् से मुख्य अभियन्ता स्तर–2 परिकल्प एंव निदेशक सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया गया है उक्त प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही शीघ्र की जाय तथा पारित आदेशों की अनुपालना के क्रम में सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता महोदय द्वारा अधीक्षण अभियन्त जल विज्ञान मण्डल बहादराबाद, हरिद्वार को प्रशनगत नालें से सम्बन्धित क्षेत्र के Flood Plain Zone कार्य को करने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में जल विज्ञान खण्ड बहादराबाद, हरिद्वार के अधिनस्थ सहायक अभियन्ता एंव अपर सहायक अभियन्ता द्वारा इस खण्ड के सहायक अभियन्ता एंव अपर सहायक अभियन्ता के साथ प्रशनगत स्थल/नाले का स्थलीय निरीक्षण दिनांक–02.05.2026 को किया गया, निरीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा उक्त प्राकृतिक नाले के Flood Plain Zone से सम्बन्धित कार्य हेतु राजस्व सज़रा शीट तथा नालें के उदगम एंव संगम स्थल के COORDINATE उपलब्ध कराने की वांछना की गई है। तत्पश्चात् इस कार्यालय के पत्रांक–823/सि0ख0न0न0/आवेदन सं0–211/2024/दिनांक–05.05.2026 के माध्यम् से गूगल अर्थ के अनुसार नालें के सम्भावित STARTING POINT के COORDINATE–30°9'23.91"N 78°19'1.44"E एंव END POINT के COORDINATE-30°7'48.36"N 78°19'46.09"E एंव आपके कार्यालय से प्राप्त उक्त प्राकृतिक नालें के राजस्व मानचित्र को संलग्न कर जल विज्ञान खण्ड बहादराबाद को प्रेषित किये गये। जिसके उपरन्त उनके द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–177/ज0वि0ख0/एफ0पी0जेड़0/एन0जी0टी0–211/2024 दिनांक –16.05.2026 (संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कार्य को कराये जाने हेतु धनावंटन की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रित की गई है, जिसके खुलने की तिथि–04.06.2026 निर्धारित की गई।
2	क्या किसी निर्माण का कोई भाग बाढ़ क्षेत्र के भीतर आता है।	निर्माण का भाग बाढ़ क्षेत्र के भीतर है के सम्बन्ध सूचना/आख्या प्राकृतिक नाले के Flood Plain Zone से सम्बन्धित कार्य होने के उपरान्त ही अवगत कराया जा सकता है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड नरेन्द्र नगर।

पत्रांक /सि0ख0न0न0/आवेदन सं0–211/2024/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, टिहरी गढवाल, नई टिहरी।
2. अधिशासी अभियन्ता जल विज्ञान खण्ड बहादराबाद को उनके पत्रांक–177/ज0वि0ख0/एफ0पी0जेड़0/एन0जी0टी0–211/2024दिनांक–16.05.2026 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
3. पैराकार/सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड तृतीय मुनि की रेती इस निर्देश के साथ प्रेषित है उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से जल विज्ञान खण्ड बहादराबाद, हरिद्वार से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड नरेन्द्र नगर।

Scanned with OKEN Scanner

अधिशासी अभियन्ता
जल विज्ञान खण्ड
बहादराबाद

<u>प्रेषित</u>

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, नरेन्द्र नगर।

पत्रांकः– 177 /ज0वि0ख0 /एफ0पी0जेड/एन0जी0टी–211/2024 दिनांक 16/05/2026

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष मूल आवेदन सं0– 211/2024 Sanjay Agarwal versus State of Uttrakhand & Ors. पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 के सम्बन्ध में

सन्दर्भ:– आपके कार्यालय पत्रांक 823/सिं0ख0 न0 न0/आवेदन सं0–211/2024 दिनांक 05.05.26

<u>महोदय,</u>

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष मूल आवेदन सं0– 211/2024 Sanjay Agarwal versus State of Uttrakhand & Ors. पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 के क्रम में इस कार्यालय से श्री अमरजीत साह एवं श्री अंकित कुमार सहायक अभियन्ता द्वारा आपके कार्यालय के सहायक अभियन्ता के साथ जनपद टिहरी गढवाल के तपोवन डेकन वैली में उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था। उक्त क्षेत्र के निरीक्षण के उपरान्त एवं आपसे वार्ता किये जाने के फलस्वरूप उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु इस कार्यालय द्वारा दिनांक 15.05.2026 को Consultancy work for Flood Plain Zoning of Natural drain/stream in Tapovan Decan Valley, Rishikesh (District-Tehri Garhwal) के कार्य हेतु धनांवटन की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रित की गई है।

अतः प्रकरण आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

(राजेन्द्र प्रसाद कुडियाल)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांकः– ज0वि0ख0/एफ0पी0जेड/ तद्दिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, स्तर–2 (परिकल्प) एवं निदेशक सिंचाई अनुसंधान संस्थान रूडकी।
3. अधीक्षण अभियन्ता,जल विज्ञान मण्डल, वहादरावाद ।
4. श्री अमरजीत साह, सहायक अभियन्ता जल विज्ञान शोध इकाई–1 वहादरावाद।

(राजेन्द्र प्रसाद कुडियाल)
अधिशासी अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner

...विज्ञान खण्ड बहादराबाद (हरिद्वार)

947

...जoविoखo/एफoपीoजेडo/निविदा सूचना दिनांक– 15.05.2026

...निविदा सूचना सं0–01 /ज0वि0ख0/FPZ/2026-27

...महिम राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित परामर्श कार्य के ...मोहर बन्द निविदायें राष्ट्रीय स्तर के किसी परामार्श दाता जिसका वाटर रिर्सोस क्षेत्र में काम करने का ...चित अनुभव हो से दिनांक **04.06.2026** को अपराहन 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी ...दिन अपराहन 3.30 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपस्थित निविदादाताओ अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी एवं उक्त दिनांक को अवकाश रहने की स्थिति में निविदाएं अगले कार्य दिवस में प्राप्त एवं खोली जायेगी।

निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से दिनांक **18.05.2026** की प्रातः 11:00 बजे से दिनांक **02.06.2026** की अपराहन 2:00 बजे तक निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र डाक से मंगाने पर रू० 100/– अतिरिक्त जमा करना होगा। डाक में देरी के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा

जॉब संख्या	कार्य का विवरण	धरोहर धनराशि रूपयें	निविदा प्रपत्र मूल्य एवं 18% जी0एस0टी0 अतिरिक्त (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	Consultancy work for Flood Plain Zoning of Natural drain/stream in Tapovan Decan Valley, Rishikesh (District-Tehri Garhwal)	39000.00	1500+270 =1770.00	60 Days

नियम एवं शर्तेः–

1. परामर्श दाता का बाढ मैदान परिक्षेत्रण सम्बन्धी कार्यों को करने का अनुभव अथवा वाटर रिर्सोस सेक्टर में Field Survey, Hydraulics modelling and गणितीय माडलिंग का कार्य का अनुभव अनिवार्य है।
2. निविदा के साथ धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचतपत्र/राष्ट्रीय कृत बैंक की सी०डी०आर०/एफ०डी०आर० के रूप में अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद के नाम बंधक होगी, प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जाएगा।
3. जी०एस०टी०/विक्री कर एवं अन्य कर जो सामान्य दर से देय है, निविदा दाताओं को देना होगा।
4. निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा देने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरिक्षण करके कार्यस्थल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ड्राइंग एवं निविदा में दी गयी स्पेसिफिकेशन एवं शर्तों का पूर्णतः अध्ययन करले अन्यथा इस सम्बन्ध में विभाग का किसी भी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
5. निविदा खुलने के दिनांक से 90 दिवस तक निविदा दरें वैध रहेगी इस आशय का डिक्लेरेशन 100 रु० के स्टाम्प पेपर पर एक रूपये के रसीदी टिकट सहित देना होगा।
6. अनुबंध करते समय मानक निविदा प्रपत्र के अनुसार कार्यपूर्ति प्रतिभूति जमा करना अनिवार्य होगा।
7. अनुबन्ध करते समय ठेकेदारों को रू0 100.00 का नॉन जुडीसियल स्टाम्प के रूप में जमा करना होगा अन्यथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. यह निविदा सूचना कार्य करने की अनुमति प्राप्त होने की प्रत्याशा में जारी की जा रही है। कोई भी निविदा विना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है।
9. सशर्त निविदायें मान्य नहीं होगी।
10. कार्यमद के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध होने पर ही ठेकेदार को भुगतान किया जाना सम्भव हो सकेगा तथा विलम्ब होने की दशा में ठेकेदार को कोई अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा।

Scanned with OKEN Scanner

जिला कार्यालय प्राप्ति दिनांक 13-5-26

ADM/06/ DPO(NH)

जिलाधिकारी टेहरी गढ़वाल 13-5-26

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर।

पत्रांक /सि0ख0न0न0/ आवेदन सं0–211/2024 /दिनांक 05/05/2026

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ,नई दिल्ली के समक्ष मूल आवेदन सं0–211/2024 Sanjay Agarwal versus State of Uttarkhand & Ors.में पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–121/ज0वि0ख0/FPZ/NGT दिनांक–30.04.2026।

अधिशासी अभियन्ता जल विज्ञान खण्ड बहादराबाद ,हरिद्वार।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें अवगतनीय है, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ,नई दिल्ली के समक्ष मूल आवेदन सं0–211/2024 Sanjay Agarwal versus State of Uttarkhand & Ors. जनपद टिहरी गढवाल के तपोवन डेकन वैली में बहुमंजिला अपारमेन्ट के अवैध निर्माण तथा प्राकृतिक नाले/धारा पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 के क्रम में सिंचाई विभाग से सम्बन्धित बिन्दु–10 में ***"गंगा नदी (पुर्नजीविकरण संरक्षण एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश 2016 के अनुसार 100 वर्ष के बाढ अन्तराल एवं 01 मीटर कन्टूर के साथ बाढ क्षेत्र का सीमांकन कर इसे राजस्व मानचित्र पर अंकित किया जाना है"***, उक्त के सम्बन्ध में प्रतिउत्तर दिनांक–26.05.2026 सुनवाई की तिथि से पूर्व मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है, जिसके सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग **उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं0–2805/प्र0अ0/सि0वि0/नि0अनु0/एन0जी0टी0/211 /2024 /दिनांक 27.04.2026 के माध्यम् से मुख्य अभियन्ता स्तर–2 परिकल्प एंव निदेशक सिंचाई अनुसंधान संस्थान रूड़की को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया गया था,** उक्त प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही शीघ्र की जाय तथा पारित आदेशों की अनुपालना के क्रम में सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता महोदय द्वारा अधीक्षण अभियन्त जल विज्ञान मण्ड़ल बहादराबाद, हरिद्वार को प्रशनगत नालें से सम्बन्धित क्षेत्र के Flood Plain Zone कार्य को करने के निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में आपके अधिनस्थ सहायक अभियन्ता एंव अपर सहायक अभियन्ता द्वारा इस खण्ड़ के सहायक अभियन्ता एंव अपर सहायक अभियन्ता के साथ प्रशनगत स्थल/नाले का स्थलीय निरीक्षण दिनांक–02.05.2026 को किया गया, निरीक्षण के उपरान्त आपके सहायक अभियन्ता द्वारा उक्त प्राकृतिक नाले के Flood Plain Zone से सम्बन्धित कार्य हेतु राजस्व सज़रा शीट तथा संदर्भित पत्र में नालें के उद्गम एंव संगम स्थल के COORDINATE उपलब्ध कराने की वांछना की गई है।

अतः आपकों उक्त प्राकृतिक नालें की FLOOD PLAIN ZONING सम्बधी कार्य हेतु राजस्व मानचित्र एंव गूगल अर्थ के अनुसार नालें के सम्भावित STARTING POINT के COORDINATE–30°9'23.91"N 78°19'1.44"E एंव END POINT के COORDINATE -30°7'48.36"N 78°19'46.09"E आपको इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त नाले FLOOD PLAIN ZONING शीघ्र प्राथमिकता पर करने का कष्ट करें जिससे मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना ससमय पूर्ण की जा सकें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड नरेन्द्र नगर।

पत्रांक 823 /सि0ख0न0न0/आवेदन सं0–211/2024/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग–उत्तराखण्ड़, देहरादून को उनके पत्रांक–2805/प्र0अ0/सि0वि0 /नि0 अनु0/एन0जी0टी0/211/2024/दिनांक 27.04.2026 के क्रम में।
2. मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड हरिद्वार ।
3. मुख्य अभियन्ता स्तर–2 परिकल्प एंव निदेशक सिंचाई अनुसंधान संस्थान रूड़की।
4. जिलाधिकारी महोदया, टिहरी गढवाल, नई टिहरी।
5. अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्यमण्डल नई टिहरी।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
7. पैराकार/सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड तृतीय मुनि की रेती इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि मा0न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्रतिउत्तर दाखिल किये जाने हेतु अपने स्तर से जल विज्ञान खण्ड बहादराबाद, हरिद्वार से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड नरेन्द्र नगर।

R. No. 4006 /ERK.......... दिनांक 15/5/26

E Mail- eegangaujs@gmail.com

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा(गंगा)'
उत्तराखण्ड जल संस्थान, जगजीतपुर, हरिद्वार।

ADM/DC/DPO (N.N)

सेवा में,
जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।
14/05/2026

पत्रांक :– 216 / एन0जी0टी0 / 2026–27 दिनांक:– 14/05/2026

विषय:– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–211/2024 संजय अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 20–03–2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 211/जिला गंगा समिति(2025–26), नई टिहरी, दिनांक 06 मई 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करेंगे, जिसमें आप द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 211/2024 संजय अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में दिनांक 20–03–2026 को पारित आदेश के कम में 05 बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थें। उक्त सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल द्वारा अपने पत्र सं0 1143/एस0पी0ए0–एस0डी0एम0/नरेन्द्र नगर, दिनांक 22 अप्रैल 2026 द्वारा अन्य विभागों के साथ इस शाखा को भी दिनांक 02–05–2026 को प्रातः 11.00 बजे उपरोक्त बिन्दुओं की संयुक्त जॉच किये जाने हेतु पत्र प्राप्त हुआ।

उक्त के कम में शाखा में कार्यरत श्री अशोक सिंह, अपर सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश द्वारा संयुक्त जॉच किये जाने हेतु प्रतिभाग किया गया, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि संयुक्त जॉच में शाखा से सम्बन्धित बिन्दु सं0 05 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि डैक्कन वैली परिसर एवं निकटवर्ती क्षेत्रान्तर्गत सीवर लाईन बिछी हुयी है, जो कि 3.50 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 से जुड़ी हुयी है तथा उक्त क्षेत्र में प्रवाहित कोई नाला/धारा में सीवर प्रवाहित होता हुआ नही पाया गया।

अतः आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय
(हरीश कुमार बंसल)
अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक(मु0), उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन नेहरू कालोनी, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पंतद्वीप हरिद्वार।
3. उप जिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर, जिला टिहरी गढ़वाल।
4. अपर सहायक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता(गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश।

अधिशासी अभियन्ता

EV947194961IN R-2052/ERK
12-5-26
950
ADM/OC/DPO(N.W.)

जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल 12/5/26

UKPCB

LiFE
Lifestyle For Environment

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehra Dun
E-mail : roueppcb@gmail.com,
Phone No.-0135-3593200

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-107 /2026–27/592-320 दिनांकः 08/05/26

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
टिहरी गढवाल।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–211/2024 संजय अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 के अनुपालन के सबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र पत्रांक संख्या 211/जिला गंगा समिति (2025–26) नई टिहरी, दिनांक 06 मई, 2026 तथा पत्रांक संख्या 202/जिला गंगा समिति (2025–26) नई टिहरी, दिनांक 17 अप्रैल, 2026 का संदर्भ ग्रहण करें, तत्क्रम में उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल के पत्र पत्रांक संख्या 1143/एस0पी0ए0–एस0डी0एम0/नरेन्द्रनगर दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 02.05.2026 को संयुक्त निरीक्षण में प्रतिभाग किया गया। प्रकरण में बिन्दु संख्या 5 के सबंध में अवगत कराया जाना है कि संदर्भित नाले के कैचमेंट में कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित/संचालित नही है तथा उक्त क्षेत्र में सीवर लाईन स्थापित होने के कारण उक्त स्थान पर स्थापित स्थापनाओं को पृथक से एस0टी0पी0 निर्माण की आवश्यकता नही है। संयुक्त जांच के दौरान जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त स्थान पर स्थापित बहुमंजिला इमारतों द्वारा सीवर लाईन से संयोजन करा लिया गया है।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय
08/5/26
(नरेश गोस्वामी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. सदस्य सचिव महोदय, को उनके पत्र पत्रांक संख्या यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0–183–773/2026/27 दिनांक 09.04.2026 के क्रम में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल को उनके पत्र संख्या 1143/एस0पी0ए0–एस0डी0एम0/नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल, दिनांक 22 अप्रैल, 2026 के क्रम में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

951

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–211/2024 संजय अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 के अनुपालन के सबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय उपजिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढवाल के पत्र पत्रांक सं–1143/एस0पी0सी0–एस0डी0एम0/नरेन्द्रनगर दिनांक 22.04.2025 के अनुक्रम में जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जनपद टिहरी गढवाल के स्थान तपोवन, डेक्कन वैली में बहुमंजिला अपार्टमेंट के अवैध निर्माण तथा प्राकृतिक नाले/धारा पर अतिक्रमण एवं उत्पन्न अवरोध के सबंध में संयुक्त जांच हेतु गठित समिति के साथ बोर्ड कार्यालय द्वारा दिनांक 02.05.2026 को प्रतिभाग किया गया, प्रश्नगत प्रकरण के बिन्दु संख्या (5) जिसमें नाले पर बिना उपचारित सीवेज/औद्योगिक अपशिष्ट के निर्वहन की रोकथाम के लिये की गयी कार्यवाही में अवगत कराना है कि उक्त नाले पर कोई भी औद्योगिक गतिविधि स्थापित नही है, संदर्भित नाले के कैचमेंट में बहुमंजिला अपार्टमेंट से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण सीवर लाईन के माध्यम से किया जा रहा है पृथक से एस0टी0पी0 निर्माण की आवश्यकता नही है। संयुक्त जांच के दौरान जल संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा भी अवगत कराया गया है कि बहुमंजिला अर्पाटमेंटो द्वारा सीवर कनेक्शन करा लिया गया है जिसका उल्लेख भी दिनांक 04.02.2024 को निर्गत कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–03 पर उपाध्यक्ष्य जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी गढवाल द्वारा किया गया है कि उक्त निर्माण हेतु पृथक से एस0टी0पी0 की आवश्यकता नही है। सबंधित निर्माणकर्ताओं द्वारा जल संस्थान से सीवरेज कनेक्शन कर लिया गया है।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

दीपेन्द्र भट्ट
अनु0 सहा0

रविन्द्र पुंडीर 8/5/26
वैज्ञा0 सहा0

वैज्ञानिक अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी

8/5/2026

8/5/26

ORDER passed in Original Application No. 211/2024 **dm-teh-ua** < dm-teh-ua@nic.in >

R. No. 3385 /ERK
पंजिका सं० 81 दिनांक 8/4/26

ADM/OC/AO(J)

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल
07/4/26

न्यायिक अनुभाग Judicial Section < judicial-ngt@gov.in >

Tue, 07 Apr 2026 12:07:06 PM +0530

To "chiefsecyuk"<chiefsecyuk@gmail.com>,"chief secretary"<cs-uttaranchal@nic.in>,"MoEFCC Dehradun"<moef.ddn@gov.in>,"moef ddn" <moef.ddn@gmail.com>,"chief secretary"<cs-uttarakhand@nic.in>,"District Garhwal"<dm-teh-ua@nic.in>,"cdotehri"<cdotehri@gmail.com>,"ddo-tehri"<ddo-tehri@uk.gov.in>,"secy uk"<secy.pr.uk@gmail.com>,"Brijesh Tiwari"<cehod-mirri@uk.gov.in>,"Staff MID"<staffo-mirri-uk@gov.in>,"msukpcb" <msukpcb@yahoo.com>,"msukpcb"<msukpcb@gmail.com>,"mvermadv" <mvermadv@gmail.com>

Cc "Adarsh Chamoli"<adarshchamoli93@gmail.com>,"officeofkaushalgautam" <officeofkaushalgautam@gmail.com>,"vinaygarg62"<vinaygarg62@yahoo.co.in>

Respected Sir/Madam,

I am directed to forward a copy of **the ORDER passed in Original Application No. 211/2024 Sanjay Agarwal Applicant Versus State of Uttarakhand, Secretary, Environment and Forest & Ors. Respondents Date of hearing: 20.03.2026.** for your kind perusal & necessary action.
It is also intimated have that, henceforth no pleadings/ report/ documents etc in pending case will be accepted except through E-filing module of NGT.
Pleadings/ report/ documents, etc. filed through E-mail will not be taken on record, unless otherwise directed.

भवदीय / Regards
परामर्शदाता (न्यायिक) / Consultant (Judicial)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण / National Green Tribunal
प्रधान न्यायपीठ / Principal Bench
नई दिल्ली / New Delhi - 110001

1 Attachment(s)

Sanjay Agarwal.pdf
131.6 KB